राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ.15(1) 5 ( )म.क./सकवि/97/48891–990 जयपुर, दिनांक : 16.09.97

–: अधिसूचना :–

आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की जिनमें कोई कमाने वाला वयस्क नहीं है, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी नियम, 1997

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवारों की जिसमें कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिये सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु निम्न प्रकार से नियम बनाये जाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभाव क्षेत्र :

(क) ये नियम आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के जिनमें कोई वयस्क कमाने वाला नहीं है, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि नियम, 1997 कहलायेंगे।

(ख) ये नियम सम्पूर्ण (राजस्थान) राज्य में 1 अप्रेल, 1997 से प्रभावी होंगे।

(ग) अगर इस हेतु पात्र विधवा की पुत्री की शादी 1 अप्रले, 1997 से एवं इन नियमों के प्रभावशील होने के दिनांक तक की अवधि के बीच में हुई है तो भी संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुदान आवेदन स्वीकृत करेंगे तथा भुगतान की व्यवस्था करेंगे।

2. परिभाषायें :

इन नियमों के जब तक की सन्दर्भ अन्यथा उपेक्षित न हो :–

1. "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
2. "विभाग" से तात्पर्य समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से है।
3. "निदेशक" से तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से है।
4. "उप निदेशक" से तात्पर्य उप निदेशक (महिला एवं बाल कल्याण), समाज कल्याण विभाग, राजस्थान से है।
5. "जिला अधिकारी" से तात्पर्य जिले में नियुक्त विभाग के जिला अधिकारी/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
6. "कोषाधिकारी, उप कोषाधिकारी" से तात्पर्य राज्य कोषागार के प्रभारी अधिकारी से है जिनके हस्ताक्षर से राज्य सरकार के भुगतान सम्बन्धी बिल पास किये जाते हैं।
7. "विधवा" से तात्पर्य उस महिला से है जिनमें पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
8. "छात्रावास अधीक्षक" से तात्पर्य समाज कल्याण विभाग के अधीन चल रहे राजकीय छात्रावास के प्रभारी छात्रावास अधीक्षक से है।
9. "विधवा पेंशन" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृद्धावस्था एवं निराश्रित विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से है।

3. पात्रता :

1. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
2. विधवा की वार्षिक आय रुपये 50,000 से अधिक नहीं हो। [1]

---

[1] अधिसूचना क्रमांक एफ.15(32)म.क./सान्याअवि/09/58316 दिनांक 15.10.2009 द्वारा संशोधित।

3. परिवार में 25 वर्ष व उससे अधिक आयु का कोई सदस्य नहीं हो। [2]

4. उक्त में वर्णित महिला की 2 कन्या सन्तान के लिये ही यह सहायता देय होगी।

5. विवाह योग्य कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आयु का प्रमाण पत्र यदि स्कूल में पढ़ने गई है तो, स्कूल प्रमाण पत्र, यदि स्कूल नहीं गई है तो सरपंच/प्रधान द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

6. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता–पिता कोई जीवित नहीं है व परिवार में कोई भी सदस्य जिसकी आय 10 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह पर भी यह अनुदान राशि देय होगी।[3]

4. अनुदान एवं बजट प्रावधान :

1. प्रत्येक कन्या (दो से अधिक न हो) की शादी के लिये दस–दस[4] हजार रुपये की राशि व्यय होगी।

2. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर ड्राफ्ट द्वारा संबंधित को भिजवाई जाएगी जिसका भुगतान का सत्यापन विधायक/ पार्षद/ सरपंच/ जिला परिषद सदस्य/ पंचायत समिति के सदस्य द्वारा कर जिला अधिकारी को भिजवाई जावेगी।

3. जिला अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र संभागीय संयुक्त निदेशक के माध्यम से विभाग को भिजवाया जाएगा।

4. आरक्षित बजट संभागीय संयुक्त निदेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा जो आवश्यकतानुसार अपने संभाग के जिला अधिकारियों को आवंटित कर सकेंगे। आवंटन की सूचना मुख्यालय को दी जायेगी।

5. प्रक्रिया :

1. सहायता राशि प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पूर्ण कर विवाह होने की तिथि से एक माह पूर्व अथवा छः माह बाद तक की अवधि में जिले के संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे।[5]

2. यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो वृद्धा अवस्था पेंशन की पी.पी.ओ. की फोटो प्रति संलग्न कर भेजें, यदि प्रमाणीकरण पर्याप्त माना जायेगा।

3. पेंशन प्राप्त न करने की स्थिति में आवेदन पत्र सदस्य पंचायत समिति/ जिला परिषद्/ वार्ड सदस्य (पार्षद), अध्यक्ष, नगरपालिका, नगर परिषद्, महापौर नगर निगम के माध्यम से विधायक/प्रधान की अभिशंषा पर ही राशि स्वीकृत की जायेगी।

4. जिला अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के तथ्यों की जांच विभाग के छात्रावास अधीक्षक (निकटस्थ) अथवा जिला अधिकारी स्वयं द्वारा अथवा जिले के परिवीक्षा अधिकारी अथवा कार्यालय के किसी कर्मचारी से अथवा हल्का पटवारी/ग्रामसेवक (ग्रामीण क्षेत्र में) से अथवा नगरपालिका/ नगर परिषद्/ नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के ओवरसियर/ सुपरवाईजर/ कनिष्ठ अभियन्ता से[6] करवाई जायेगी। तत्संबंधी कार्यवाही आवेदन पत्र

---

[2] अधिसूचना क्रमांक एफ.15(32)म.क./सान्याअवि/09/58316 दिनांक 15.10.2009 द्वारा संशोधित।

[3] अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)(5)म.क./सकवि/02/10307 दिनांक 08.03.2002 द्वारा प्रविष्ठित।

[4] अधिसूचना क्रमांक एफ.15(2)(2)वि.पु.वि./सकवि/02/45227 दिनांक 21.06.2003 द्वारा संशोधित।

[5] अधिसूचना क्रमांक एफ.15(2)(2)वि.पु.वि./सकवि/02/51557 दिनांक 28.11.2002, 16109 दिनांक 28.03.2003 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)(5)म.क./सान्याअवि/07/60334 दिनांक 28.09.2007 द्वारा समय–समय पर संशोधित व 01.04.2007 से लागू।

[6] अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)(5)म.क./सान्याअवि/07/60334 दिनांक 28.09.2007 द्वारा संशोधित व 01.04.2007 से लागू।

प्राप्त होने के सात दिवस में पूर्ण की जाकर 15 दिवस में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर भुगतान किया जायेगा।

5. (क) स्वीकृत अनुदान राशि का जिला अधिकारी द्वारा आहरित राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदिका को भिजवाया जायेगा तथा विधायक/सरपंच/जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य के समक्ष भुगतान कर प्रमाणीकरण करवाकर रसीद प्राप्त की जायेगी।

(ख) यदि किसी विशेष कारण से विधवा के घर पर भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है तो उसका प्रमाणीकरण क्षेत्रीय विधायक/सरपंच/जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य द्वारा किया जायेगा।

6. नियमों में शिथिलता :

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्ण सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या जो, निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी, वही अंतिम एवं बंधनकारी मानी जायेगी। किसी भी विवाद में निदेशक, समाज कल्याण विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

ह0/–
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।